## राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.18(1)साप्र/2/18 जयपुर, दिनांक : 5/10/18

**–: आदेश :–**

सुश्री बरखा रानी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इनकी एच–श्रेणी की वरीयता संख्या 37/2013 व सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2054 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 01.10.2013 द्वारा राजकीय आवास संख्या एच–520, गांधीनगर ,जयपुर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 17 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर आवंटित किया गया था। उक्त राजकीय आवास के स्थान पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय आवास संख्या जी–755, गाँधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा। आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लिए जाने के पश्चात् पूर्व में आवंटित राजकीय आवास रिक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ाा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

**(डॉ.पी.डी.पारीक)**
**उप शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 304/एम/जीएडी/18 दिनांक 05.10.18 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. **अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
12. **सुश्री बरखा रानी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेगें।**
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

5/10/18

**उप शासन सचिव**

## राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.16(1)साप्र/2/18 पार्ट जयपुर, दिनांक : 5/10/18

**–: आदेश :–**

श्री कमलेश कुमार गुर्जर, लिपिक ग्रेड–I, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयता संख्या 229/2015 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2049 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या एफ–456, गाँधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

**(डॉ.पी.डी.पारीक)**
**उप शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

15. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी अशा.टीप. क्रमांक मं./साप्र/2018/624 दिनांक 03.10.18 के क्रम में।
16. जिला कलक्टर, जयपुर।
17. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
18. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
19. वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. **अधियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
24. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
25. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
26. **श्री कमलेश कुमार गुर्जर, लिपिक ग्रेड–I, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेगें।**
27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
28. रक्षित पत्रावली।

5/10/18

**उप शासन सचिव**

# राजस्थान सरकार
## सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

**क्रमांक :– प.16(1)साप्र/2/18 पार्ट** **जयपुर, दिनांक :** 5.10.18

**–: आदेश :–**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.08.18 द्वारा श्री सांवरमल, लिपिक ग्रेड–I, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को इनकी एफ–श्रेणी की वरीयता संख्या 396/2018 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2036 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 4/17, गांधीनगर ,जयपुर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर आवंटित किया गया था। उक्त राजकीय आवास के स्थान पर राजकीय आवास संख्या एफ–124, गाँधीनगर, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय़ आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ.पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 306/एम/जीएडी/18 दिनांक 05.10.18 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. **अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
12. **श्री सांवरमल, लिपिक ग्रेड–I, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेगें।**
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

5/10/18

उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

## **प्रपत्र**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | |
| 2. | वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण | |
| 3. | जन्म दिनांक | |
| 4. | सेवानिवृत्ति दिनांक | |
| 5. | जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है। | |
| 6. | आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नही है। | |

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

**राजस्थान सरकार**
**सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग**

क्रमांक :– प.4(2)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 5.10.18

**–: आदेश :–**

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्व पदस्थापन के परिपेक्ष में इनकी वरियता द्वितीय श्रेणी संख्या 54/2010 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र/2/2010 दिनांक 12.11.2010 द्वारा राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर आवंटित किया गया था। जिसमें दिनांक 19.11.2010 से काबिज है। इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2016 को हो चुकी है।

कार्मिक (क–1) विभाग की आज्ञा संख्या पं. 9(5)कार्मिक/क–1/2016 पार्ट दिनांक 1.9.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर ) को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 1.9.2016 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे–माईनस पेंशन के आधार पर नियुक्त किये जाने के कारण इस विभाग के आदेश संख्या प.4(2)साप्र/2/2012 दिनांक 6.10.2016 द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम–1958 के नियम–27 में शिथिलन प्रदान करते हुए दिनांक 2.9.2016 कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति प्रदान की गई थी।

कार्मिक (क–1) विभाग की आज्ञा संख्या पं. 9(5)कार्मिक/क–1/2016 पार्ट दिनांक 12.10.2017 द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर ) को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे–माईनस पेंशन के आधार पर बढ़ाई गई थी, के परिपेक्ष में नियम–27 में शिथिलन प्रदान करते हुए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित उक्त राजकीय आवास में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति प्रदान की गई थी।

अतः श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को नियम–27 के अन्तर्गत शिथिलन प्रदान करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4.9.2018 के क्रम में दिनांक 2.9.2018 से 31.12.2018 तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

**(डॉ. पी.डी. पारीक)**
**उप शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2 जिला कलक्टर, जयपुर।
3 विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी अशा. टीप. संख्या क्रमांक: मुमं–ओएसडी/पीएस/2018/SP–1 दिनांक 10.9.2018 के क्रम में।
4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 302/एम/जीएडी/2018 दिनांक 04.10.2018 के क्रम में।
5 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6 मुख्य अभियंता, भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 9(5)कार्मिक/क–1/2016 दिनांक 4.9.2018 के क्रम में।
8 वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड–3/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0 निगम लि0 गांधीनगर, जयपुर।
11 श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
12 निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13 प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर –कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
15 सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
16 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
17 रक्षित पत्रावली।

5/10/18

**उप शासन सचिव**